न्यूज़ टुडे

भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (IBPR) द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग–1 (गंगा नदी) और राष्ट्रीय जलमार्ग–2 (ब्रह्मपुत्र नदी) को जोड़ा गया

- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जलमार्ग के माध्यम से पटना से बांग्लादेश होते हुए पांडु (गुवाहाटी) तक **खाद्यान्नों की पहली खेप** को सफलतापूर्वक पहुंचाया। इसके लिए **भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल** (IBP) **मार्ग** का उपयोग किया गया। इसके लिए IBP में अंतर्देशीय जलमार्गों **"राष्ट्रीय जलमार्ग–1 (गंगा नदी) और 2 (ब्रह्मपुत्र नदी)"** को संयुक्त रूप से शामिल किया गया था।

- **भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (IBP मार्ग) के बारे में:**
  - अंतर्देशीय जल परागमन और व्यापार के लिए **भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल पर वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे।** इसके तहत **एक देश के अंतर्देशीय पोत दूसरे देश के निर्धारित मार्गों के माध्यम से आवागमन कर सकते हैं।**
  - अंतिम बार इसका नवीनीकरण वर्ष 2015 में किया गया था। इसके तहत पांच वर्ष के पश्चात स्वचालित नवीनीकरण का प्रावधान किया गया था।
  - यह मार्ग भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के क्षेत्राधिकार में है।
  - वर्तमान में, प्रत्येक तरफ **कुल 10 प्रोटोकॉल मार्ग और 11 पोर्ट ऑफ कॉल हैं।**
- **महत्व**
  - यह भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक एवं रणनीतिक संबंधों को प्रोत्साहित करेगा।
  - साथ ही, यह अन्य पड़ोसी देशों जैसे भूटान, नेपाल (दोनों स्थलरुद्ध) और म्यांमार के साथ बेहतर संपर्क में वृद्धि करेगा।
  - इसके द्वारा पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत को जोड़ने वाले अंतर्देशीय जल परिवहन में वृद्धि एवं विकास की शुरुआत हुई है। इससे क्षेत्रीय संपर्क में सुधार हो रहा है।

Connectivity with mainland India through Indo-Bangladesh Protocol Route

courtesy IWAI

IWAI के बारे में:

- यह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत गठित एक **स्वायत्त संगठन** है।
- यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों के **विकास, रखरखाव और विनियमन** के लिए जिम्मेदार है।

भारतीय न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का महत्व

- सरकार ने न्यायपालिका में **मशीन लर्निंग** (ML) **और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** (AI) जैसी नई व अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इनसे **न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने** में मदद मिलेगी।
- **इसके संभावित लाभ**
  - भारतीय न्यायपालिका में **निर्णयों से संबंधित मुक्त रूप से उपलब्ध डेटा तक पहुंच** संबंधी चुनौतियां मौजूद हैं। इनसे इन चुनौतियों से निपटा जा सकेगा।
  - **इनसे प्रोसेस री–इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन** के माध्यम से **न्याय तक पहुंच में सुधार** हो सकता है। साथ ही, **न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी लाई जा सकती है।**
  - बुद्धिमत्तापूर्ण कानूनी विश्लेषण और अनुसंधान जैसे साधनों के माध्यम से **बेहतर निर्णय** लिया जा सकता है।
  - **विश्व स्तर पर इनसे संबंधित सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से सीखने का अवसर** मिलेगा। जैसे कि, यूनाइटेड किंगडम में बार–बार अपराध करने वाले का पूर्वानुमान लगाने की एक प्रणाली विकसित की गयी है।
- **सुझाव:**
  - ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए **मूलभूत नियम बनाने चाहिए।**
  - **हितधारकों की पहचान करनी चाहिए** और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  - ऐसी प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायता के लिए **साझेदारी को बढ़ावा देना** चाहिए।

न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने से संबंधित चुनौतियां

अल्पकालिक चुनौतियां	दीर्घकालिक चुनौतियां
पारदर्शिता को सुनिश्चित करना: परिणाम तक पहुँचने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित गणितीय प्रणालियाँ अपारदर्शी होती हैं। साथ ही, इनकी सार्वजनिक निगरानी संभव नहीं है।	**वेल्यु लॉक–इन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।** यह उस स्थिति को संदर्भित करती है, जिसके तहत पूर्व के निर्णयों की लगातार मिसाल देने से कानूनी जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही, इससे यह स्थिति और कठोर भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक परिवर्तन की संभावना भी सीमित हो सकती है।
सामाजिक असमानताओं को बरकरार रखने वाले डेटा और डिजाइन संबंधी पूर्वाग्रहों को रोकना भी एक चुनौती है।	**सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या एक एल्गोरिदमिक निर्णय लेने वाला साधन न्यायाधीशों की जटिल संवैधानिक भूमिका और शक्तियों के विभाजन के कार्य को संपन्न कर सकता है।**
ऐसी **निर्णय समर्थन प्रणाली का निर्माण** करना, जो मानवीय निर्णय प्रणाली में सहायक बने न कि उसे हटाए।	

अब तक किए गए उपाय

- **सुवास या SUVAS (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर):** यह एक लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है। इसका अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **सुपेस या SUPACE (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी):** यह दक्षता में सुधार करने और लंबित मामले को कम करने में मदद करता है। यह उन न्यायिक प्रक्रियाओं की पहचान करता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वचालित हो सकती हैं।
- **एससीआई–इंटरैक्ट (SCI-Interact):** यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर है। यह न्यायाधीशों को फाइलों, याचिकाओं के अनुलग्नकों (annexures) आदि तक पहुंच प्रदान कर सभी 17 पीठों को कागज रहित बनाता है।

कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN) के विनियमन के मुद्दे पर बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों और दूरसंचार कंपनियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है

कार्यप्रणाली में अंतर का एक उदाहरण

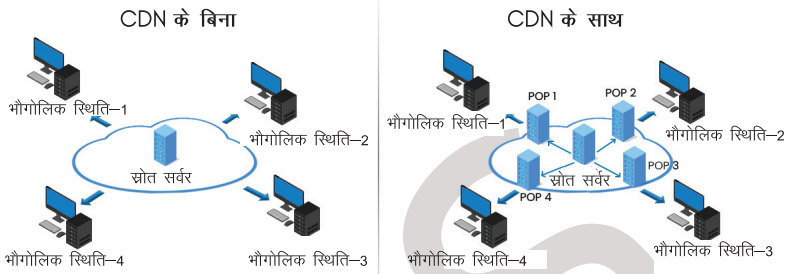

- CDN के विनियमन के मुद्दे से उपजे विवाद से नेट न्यूट्रैलिटी पर फिर से बहस शुरू हो गई है। दूरसंचार कंपनियां **कंटेंट वितरण नेटवर्क (CDN) को विनियमित करने के प्रस्ताव का समर्थन** कर रही हैं। CDN के **विनियमन** को नेट न्यूट्रैलिटी पर **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) की सिफारिशों में शामिल नहीं** किया गया था। ये सिफारिशें वर्ष 2017 में प्रस्तुत की गई थीं।
  - **नेट न्यूट्रैलिटी या नेटवर्क तटस्थता:** यह एक अवधारणा है। इसके अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को किसी विशेष ऐप, वेबसाइट्स या सेवाओं के पक्ष में अनुचित भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने **नेटवर्क के माध्यम से गुजरने वाले सभी डेटा के साथ निष्पक्ष व्यवहार** करना चाहिए।
- CDN, अलग–अलग **भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित सर्वरों के समूह** होते हैं। ये इंटरनेट कंटेंट का तेजी से वितरण करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।
  - इस प्रकार, **इंटरनेट कंपनियां** जैसे कि **सर्च इंजन** (जैसे गूगल) और OTT **कंटेंट प्रदाता** (नेटफ्लिक्स आदि) **तेजी से सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए** CDN सेवाओं का उपयोग करेंगे।
  - CDN प्रबंधन सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के आधार पर यह **गणना** करता है कि **कौन–सा सर्वर कंटेंट की मांग करने वाले उपयोगकर्ता के सबसे नजदीक** है। इन गणनाओं के आधार पर ही यह कंटेंट का वितरण करता है।
- हालांकि, दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि **यदि CDNs तक पहुंच को समान शर्तों पर सुनिश्चित नहीं किया जाता है,** तो इससे **नेट न्यूट्रैलिटी** का मुद्दा उठ सकता है। इस स्थिति में प्राथमिकता प्राप्त कंपनियों के ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाली CDN सेवा प्रदान की जा सकती है।

कश्मीर घाटी की प्राचीन टीलानुमा संरचनाओं का विनाश किया जा रहा है

- कश्मीर घाटी में विकास और निर्माण कार्य संबंधी गतिविधियों के कारण **'करेवा'** (Karewas) **टीलों की खुदाई** की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, इनका **विनाश** हो रहा है। करेवा **अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा के निक्षेप** हैं।
  - करेवा हिमनदीय मृत्तिका (glacial clay) और **हिमोढ़ में शामिल अन्य सामग्रियों के सरोवरी निक्षेप** (झील में निक्षेप) हैं।
  - ये निक्षेप **अनियोजित निर्माण कार्य, मृत्तिका के अवैध खनन** आदि के कारण नष्ट हो रहे हैं।
- **करेवा (इसे वुद्र भी कहा जाता है) का निर्माण कैसे हुआ?**
  - प्लीस्टोसीन युग (26 लाख वर्ष से 11,700 वर्ष पूर्व) के दौरान **पीर पंजाल के उत्थान** के कारण **जल अपवाह एक क्षेत्र में अवरुद्ध** हो गया था। इसके परिणामस्वरूप, एक झील क्षेत्र (लगभग 5000 वर्ग किमी) विकसित हो गया था। इससे कश्मीर घाटी में एक **बेसिन जैसी संरचना का निर्माण** हुआ।

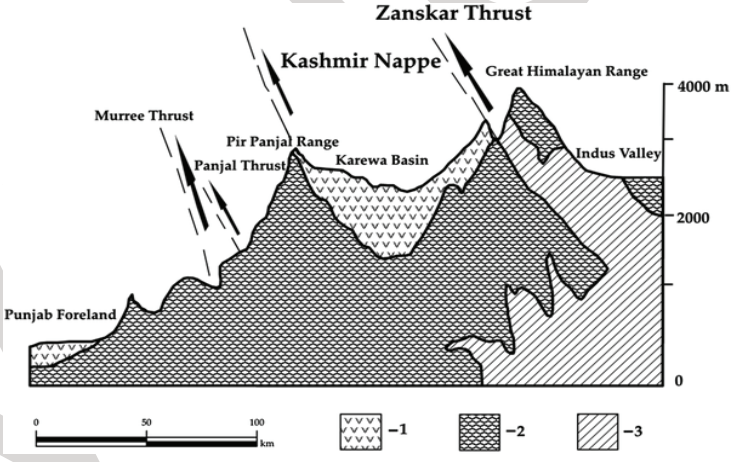

  - कुछ समय पश्चात, **इस झील का जल बारामुला गार्ज** के माध्यम से अपवाहित हो गया। इस प्रकार, **करेवा निक्षेप अवशेष के रूप में बचा रह गया।**
- **करेवा का महत्व**
  - **कृषि संबंधी:** यह कश्मीरी केसर (जाफरान), बादाम, सेब और कई अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है।
    - कश्मीर घाटी की केसर विरासत एवं खेती को **खाद्य और कृषि संगठन** (FAO) की **"वैश्विक कृषि विरासत प्रणाली"** के रूप में मान्यता दी गई है।
    - केसर को वर्ष 2020 में **भौगोलिक संकेतक** (GI) दर्जा प्रदान किया गया था।
  - **पुरातात्विक महत्व:** यहां कई मानव सभ्यताओं और बस्तियों के जीवाश्म एवं अवशेष मौजूद हैं।

अपशिष्ट मुक्त शहरों (Garbage Free Cities: GFCs) के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण प्रारूप का शुभारंभ किया गया

- इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) के तहत आरंभ किया गया है।
- इससे SBM-U 2.0 के तहत राज्यों तथा शहरी निकायों की क्षमता के निर्माण, कौशल विकास तथा ज्ञान प्रबंधन पहलों के सिलसिले में ब्लूप्रिंट तैयार करने में मदद मिलेगी।
- **यह उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित तीन स्तंभों पर आधारित दृष्टिकोण पर बल देता है:**
  - **क्षमता को मजबूत करना** (Capacity Strengthening): इसके तहत राज्य और नगर पालिका संवर्गों (Municipal Cadres) की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह कार्य मानव संसाधन का आकलन और प्रशिक्षण, वेबिनार, समकक्षों से सीखने (पीयर लर्निंग) और ई–लर्निंग के माध्यम से किया जाएगा।
  - **क्षमता का विकास करना** (Capacity Augmentation): इस कार्य को कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों और नगर प्रबंधकों के रूप में विशेषज्ञता प्राप्त मानव संसाधन के माध्यम से किया जाएगा।
  - **पारितंत्र को मजबूत करना** (Ecosystem Strengthening): इस कार्य को मौजूदा जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी इंजीनियरिंग संगठनों को मजबूत करके किया जाएगा। इसमें स्वच्छता ज्ञान साझीदारों इत्यादि को भी शामिल किया जाएगा।
- **अपशिष्ट मुक्त शहरों के बारे में**
  - स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0 की शुरुआत वर्ष 2021 में की गयी थी। इसका समग्र **उद्देश्य 'अपशिष्ट मुक्त शहर (GFCs)' सुनिश्चित करना है।**
  - GFCs के लिए 7 स्टार्स वाला रेटिंग प्रोटोकॉल आरंभ किया गया है। इसके तहत शहरों को एक निश्चित स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए स्व–आकलन और **स्व–सत्यापन करना** अनिवार्य होता है।
  - इसके तहत रेटिंग के कुल 4 वर्ग (1, 3, 5 और 7 स्टार) हैं। ये वर्ग तीन मानदंडों **'अनिवार्य, आवश्यक और वांछनीय'** पर आधारित हैं। इन मानदंडों में कुल 25 घटकों जैसे हर घर से संग्रह, स्रोत पर अपशिष्ट को अलग करना आदि शामिल हैं।

अन्य सुर्खियाँ

नो–फ्लाई जोन (NFZ)

- नाटो ने, यूक्रेन पर नो–फ्लाई जोन (NFZ) लागू करने के **यूक्रेन सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।**
- NFZ, या एयर एक्सक्लूज़न जोन (AEZ), **एक सैन्य शक्ति द्वारा स्थापित हवाई क्षेत्र है। इसके ऊपर कुछ विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होती है।**
  - सैन्य संदर्भ में, **इसे विमानों को प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।** इसे **हमलों या निगरानी** को रोकने के लिए लागू किया जाता है।
- इससे पहले, **इराक** (1991 खाड़ी युद्ध), **बोस्निया–हर्जेगोविना** (1995 कोसोवो युद्ध) और **लीबिया** (2011 गृह युद्ध) के वायु क्षेत्रों में NFZ को लागू किया गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बहुविषयक उच्चतर शिक्षा के लिए दिशा–निर्देश जारी किए

- **उद्देश्यः** बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) के विकास को प्रोत्साहित करना।
  - ये दिशा–निर्देश **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** के अनुरूप हैं। इस नीति में **वर्ष 2030 तक हर जिले में या उसके निकट कम से कम एक बड़े बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान** (HEI) की परिकल्पना की गई है।
- **मुख्य प्रावधान**
  - कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के पास **दोहरी डिग्री प्रदान** करने के लिए आपसी सहयोग का विकल्प होगा।
  - विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज, बहुविषयक शिक्षा प्रदान करके अपने दर्जे को डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त कॉलेजों के स्तर तक बढ़ा सकते हैं।

पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (SBFA)

- केंद्र सरकार ने SBFA के तहत 47 पोतों के लिए 155 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को स्वीकृति प्रदान की है।
- **पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति** (SBFA) **के बारे में –**
  - इसे वर्ष 2015 में लागू किया गया था। इसे पोत निर्माण समझौतों के लिए **भारतीय शिपयार्ड को वित्तीय सहायता योजना** के रूप में लागू किया गया है। यह नीति वर्ष 2016 से वर्ष 2026 तक की अवधि हेतु हस्ताक्षरित समझौतों पर प्रभावी है।
  - इसका उद्देश्य **घरेलू रूप से निर्मित पोतों को चीनी पोतों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाना है।**
  - इस नीति के तहत, केवल वे पोत ही पात्र होंगे, **जो समझौते की तिथि से तीन वर्ष के भीतर निर्मित और वितरित** किए जाते हैं।
  - हालांकि, **विशेष पोतों के निर्माण और वितरण** के मामले में, केंद्र **छह वर्षों तक के लिए एक सैद्धांतिक अनुमोदन** प्रदान कर सकता है।

खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक (FFPI)

- FFPI के अनुसार, **फरवरी माह में वैश्विक खाद्य कीमतें एक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई थीं।** इसके कारण वनस्पति तेलों और डेयरी उत्पादों में वृद्धि हुई है। वैश्विक खाद्य कीमतों में वर्ष–दर–वर्ष **20.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।**
- **FFPI, खाद्य पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मासिक आधार पर हुए परिवर्तन की एक माप है।**
- इसमें **पांच कमोडिटी समूह मूल्य सूचकांकों (अनाज, सब्जी, डेयरी, मांस और चीनी)** का औसत शामिल है। यह औसत वर्ष 2014 से वर्ष 2016 तक प्रत्येक समूह के औसत निर्यात शेयरों के साथ भारित है।

हाथी दांत का व्यापार (Ivory trade)

- नामीबिया, भारत में चीतों के स्थानांतरण के लिए **हाथी दांत सहित वन्य जीव उत्पादों के वाणिज्यिक व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध को हटाने हेतु भारत का समर्थन चाहता है।**
- हाथीदांत व्यापार अक्सर **वालरस तथा अफ्रीकी और एशियाई हाथियों के बाहरी दांतों** का वाणिज्यिक (प्रायः अवैध) व्यापार है।
- हाथी दांत के व्यापार को **वर्ष 1989 में प्रतिबंधित** कर दिया गया था। यह प्रतिबंध **वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय** (CITES) के तहत लगाया गया है।
- हाथी दांत का उपयोग विलासिता की वस्तुओं के निर्माण तथा औषधीय उपयोग के लिए किया जाता है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

- FATF ने पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्तपोषण के कारण अपनी **'ग्रे लिस्ट' में बरकरार रखा है।**
  - पाकिस्तान, धन शोधन (money laundering) को रोकने में विफल रहने के कारण जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है। यह धन शोधन ही आतंकी वित्तपोषण का साधन है।
  - इसके अलावा, **संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट** में शामिल किया गया है।
- FATF की स्थापना **वर्ष 1989** में की गई थी। यह **एक अंतर–सरकारी निकाय** है। इसे **धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण** और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के समक्ष **अन्य संबंधित खतरों** से निपटने हेतु स्थापित किया गया था।
- **सदस्यः** इसके 39 सदस्य हैं। इनमें **भारत** सहित 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन– **यूरोपीय आयोग** और **खाड़ी सहयोग परिषद** (GCC) शामिल हैं।
- FATF **द्वारा जारी की जाने वाली दो सूचियां:**
  - **ब्लैक लिस्ट** (कार्रवाई की अनिवार्यता वाले उच्च जोखिम युक्त देश/अधिकार क्षेत्र से संबंधित) तथा
  - **ग्रे लिस्ट** (अधिक निगरानी की आवश्यकता वाले देश/अधिकार क्षेत्र से संबंधित)।

हंसा–नई पीढ़ी (HANSA-New Generation - HANSA-NG)

- यह भारत का **पहला स्वदेशी विमान प्रशिक्षक** है। इसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)-नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज ने डिजाइन व विकसित किया है।
- इसने समुद्र स्तर के परीक्षण पूरे कर लिए हैं। ये परीक्षण नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा मूल्यांकन किए जाने के लिए बहुत आवश्यक हैं।
- **मुख्य विशेषताएं –**

	➢ कम्पोजिट लाइट वेट एयरफ्रेम, ➢ एक ग्लास कॉकपिट, ➢ एक विस्तृत मनोरम दृश्य के साथ एक बबल कैनोपी तथा ➢ विद्युत संचालित फ्लैप। ❍ **महत्व–** इसकी बहुत कम लागत है। इसकी ईंधन खपत भी बहुत कम है। इसके कारण यह **कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए एक आदर्श विमान** है। ❍ **नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज** का गठन वर्ष 1959 में किया गया था। यह CSIR के तहत सरकारी स्वामित्व वाली एक एयरोस्पेस अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है।
 यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान	❍ हाल ही में, नासा (NASA) ने **'यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान'** (ECS) का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इसे वर्ष 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा। ❍ ECS, यूरोपा में **अधिवास की संभावनाओं को तलाशने हेतु उसे स्कैन करेगा।** वैज्ञानिकों का मानना है कि **यूरोपा में एक ऐसा महासागर मौजूद है, जिसमें पृथ्वी के सभी महासागरों के संयुक्त जल की मात्रा से दोगुना जल विद्यमान है।** यह महासागर यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे स्थित है। उस महासागर में जीवन के लिए उपयुक्त स्थितियां हो सकती हैं। ➢ यूरोपा, बृहस्पति के चार सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है। इन चंद्रमाओं को "गैलीलियन सैटेलाइट्स" कहा जाता है। इसके अन्य चंद्रमा आयो, गेनीमेड और कैलिस्टो हैं।
 बोल्ट्जमैन मेडल	❍ भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER) के भौतिक विज्ञानी **दीपक घर बोल्ट्जमैन मेडल** प्राप्त करने वाले **पहले भारतीय** बने हैं। ❍ यह मेडल भौतिक विज्ञानी लुडविग बोल्ट्जमैन के नाम पर है। इसे **सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए** प्रदान किया जाता है। ❍ यह मेडल **इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड फिजिक्स** (IUPAP) के सांख्यिकीय भौतिकी पर आयोग द्वारा दिया जाता है। ➢ IUPAP एकमात्र **अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी संगठन** है। यह भौतिकी समुदाय द्वारा संगठित और संचालित है।
 वन गुज्जर	❍ वन गुज्जर, वनों में रहने वाला **अर्ध–घुमंतू चरवाहा समुदाय** है। यह समुदाय आज भी उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के **वनों में मौसमी प्रवास करता है।** ➢ यह **समुदाय गर्मियों में अपने मवेशियों के लिए चारे हेतु ऊपरी हिमालय के घास के मैदानों (बुग्याल) की ओर प्रवास करता है।** मवेशी उनकी आजीविका और निर्वाह के प्राथमिक स्रोत हैं। ❍ यह समुदाय आमतौर पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत वन्यजीव संरक्षण के कारण **विस्थापित या चराई के अधिकारों से वंचित** हो जाता है।

VISIONIAS

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी